



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ सब बढ़े
13 वुड स्ट्रीट
कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
13 Wood Street,
Kolkata-700016 (West Bengal)
फैक्स/Fax: 033 - 22879038
दूरभाष/Telephone: 033-22872156
ई-मेल/e-Mail : wbs.gdc soi@gov.in



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
पश्चिम बंगाल एवम् सिक्किम
भू-स्थानिक निदेशालय
WEST BENGAL & SIKKIM
GEO-SPATIAL DIRECTORATE
कोलकाता Kolkata

इस पत्र का उत्तर पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक निदेशालय के आधिकारिक ई-मेल पर ही प्रेषित करने एवं उत्तर देते समय इस पत्र की संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करें।
Reply to this letter should be sent only on the official e-mail of WB & Sikkim GD and while replying, mention the number and date of this letter.

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडी, कोलकाता के नेमी आदेश सं. 10 / 37-G-11

दिनांक. 18.12.2025

West Bengal and Sikkim GD, Kolkata Routine Order No. 10 /37-G-11

DATED 18.12.2025

1. एम. ए. सी. पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन / Implementation of Financial Up-gradation under MACP Scheme

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था० (डी) दिनांक 19.5.2009 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2015-स्था० (डी) दिनांक 22.10.2019 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एस०एम०/02/02/2021 दिनांक 25-08-2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

नाम एवं पदनाम Name & Designation	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि Date from which MACP granted	वेतन स्तर स्वीकृत / Pay Level Granted	प्राधिकार Authority
श्री सुजय कुमार साहा, वरिष्ठ रेप्रोग्राफर Shri Sujoy Kumar Saha, Senior Reprographer	3 rd MACP w.e.f. 01.01.2025	Level- 8	महासर्वेक्षक के पत्र संख्या. सी. पी.-2232 / 1902- एम.ए.सी.पी.(जनरल) दिनांक 16.10.2025

ii) संबंधित व्यक्ति को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर वेतनमान में FR 22(I) (a) (1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए एक विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक है और वेतन का निर्धारण कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प के अनुसार किया जाएगा।/The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(I) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

iii) उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं माने जायेंगे।/If any Vigilance/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent, then the above mentioned orders will not be affected.

2 .अधिकारी सर्वेक्षकों का लेवल - 9 पर गैर-कार्यात्मक उन्नयन (NON-FUNCTIONAL UPGRADATION TO LEVEL-9 OF OFFICER SURVEYOR)

भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के सं. SM/04/13/2015 दिनांक. 09.11.2020 के अनुसार भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. जे-1794/2158-7th CPC दिनांक 10.11.2020 एवं पत्र सं. विज-483/1009-विजी.क्लीयरेंस (संग्रह-97)(29074) दिनांक 07.12.2025 में निहित अनुदेशानुसार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी० डी०, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षकों का लेवल-9 पर स्वीकृत किया जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

In pursuance of DST's No.SM/04/13/2015 dt.09.11.2020, S.G.'s letter No.J-1794/2158-7th CPC dated 10.11.2020 and S.G.'s letter No.Vig-483/1009-Vigi.Clearance(Coll.-97)(29074) dated 07.12.2025, the Pay of the following Officer Surveyors of West Bengal and Sikkim GD, Survey of India, has been granted to Level 9 as detailed below :-

क्रम सं./ Sl. No.	नाम / Name	अधिकारी सर्वेक्षकों के तौर पर वेतन मान - 8 स्वीकृत की तारीख / Date of granting Level-8 as Officer Surveyor	वेतन मान -9 स्वीकृत होने की तिथि / Pay level-9 granted w.e.f.
1	श्री हिमाद्री शेखर चक्रवर्ती/ Shri Himadri Sekhar Chakraborty	22.11.2021	21.11.2025
2	श्री सुशांत राय / Shri Susanta Roy	06.09.2021	05.09.2025

(प्राधिकार : S.G.'s letter No.Vig-483/1009-Vigi.Clearance(Coll.-97)(29074) dated 07.12.2025)

3. प्रशासन को मजबूत बनाना 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के पुनरीक्षण मामले पर पुनर्विचार / STRENGTHENING OF ADMINISTRATION - REVIEW CASES OF GOVT. SERVANTS ON THEIR ATTAINING 55 YEARS AGE OR ON COMPLETION OF 30 YEARS OF QUALIFYING SERVICE

सक्षम अधिकारी द्वारा इस निदेशालय के निम्नलिखित ग्रुप 'सी' कार्मिकों को उनके 55 वर्ष की आयु करने 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है।

The following Group 'C' Staff of this Directorate has been permitted to retain in Govt. Service by the Competent Authority on completion of 30 years of qualifying service or attaining 55 years of age as per the remarks quoted against his name.

क्रम सं. SL. NO.	नाम व पदनाम Name & Designation	55 वर्ष की आयु करने की तिथि Date of attaining 55 Years of Age	प्राधिकार Authority
1.	श्री हर प्रसाद राय, प्रवर श्रेणी लिपिक Shri Hara Prasad Ray, Upper Division Clerk	08.01.2025	अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय का पत्र सं प्रशा- 1766/11-J-3(RC) (WB&S GD) दिनांक 21- 11-2025.

4. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति / Retirement on Superannuation from Govt. Service

इस निदेशालय के अधोलिखित अधिकारी, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथि से सेवानिवृत्त हुए।

The undermentioned Officer of this Directorate is retired on Superannuation with effect from the date shown against his name as mentioned below:-

क्रम सं. Sl.No.	नाम और पदनाम Name & Designation	सेवानिवृत्ति की तारीख Date of Retirement
1.	श्री रूप कुमार दास, उप अधीक्षण सर्वेक्षक Shri Rup Kumar Das, Dy Superintending Surveyor	30.11.2025 (अपरान्ह) (A/N)

5. तकनीकी त्याग पत्र / TECHNICAL RESIGNATION

इस निदेशालय का निम्नलिखित कर्मचारी का तकनीकी त्याग पत्र अनुमोदन द्वारा उनके सेवा कर्तव्य से कार्यमुक्त कर दिए गए।

The following staff of this Directorate has been relieved of their duties after approving their Technical Resignation.

नाम एवं पदनाम	दिनांक	नया स्थान पर	प्राधिकार
श्री अलोक राज, एम्. टी. एस.	11.12.2025 (A/N)	Principal District and Session Judge, Patna	इ/ए -1121/18-A-11 दिनांक 09.12.2025

(संजय कुमार)
निदेशक

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. इस निदेशालय का सभी अनुभाग अधिकारी / विंग - प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. फाईल - सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजिका
6. नोटिस बोर्ड।